स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक: प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ १२५१ – ९८ दिनांक 11.03.2022 १५

<u>कार्यालय आदेश</u>

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों मे कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संधारित Revolving Fund से आवश्यक कार्य करवाये जाते है। उक्त निधि का सदुपयोग GF&AR / RTPP Act के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिये। अतः इसके प्रभावी उपयोग/पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय की समस्त इकाई के कार्यालयाध्यक्षों को निम्नलिखित कार्यवाही अपनाये जाने के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान किये जाते है।

1. किसी भी कार्य को कराने से पूर्व किये जानेवाले कार्य का पुर्वानुमान लागत का तकमीना प्रस्ताव बनाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को प्रस्तुत करवाना होगा तथा उक्त प्रस्ताव पर वित्तनियंत्रक का अनुमोदन/अनुमति होने पर ही कार्य करवाया जायेगा। बिना अनुमति के कार्य करवाये जाने पर दोषी अधिकारी के वेतन से कार्य की लागत राशि वसूल की जावेगी।
2. Revolving Fund से कार्य का भुगतान कराने से पूर्व कोष कार्यालय, स्वा.के.रा.कृ.वि. बीकानेर, से बिलों का पूर्व अंकेक्षण कराना तथा समय समय पर आय व्यय का समुचित लेखा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, के समक्ष प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करावे। यदि बिना पूर्व अंकेक्षण के बिलों का भुगतान Revolving Fund से किया जाता है तो वह अनियमित भुगतान वैध नहीं माना जावेगा।

इस आदेश की तुरन्त प्रभाव से पालना सुनिश्चित करावे।

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/आहरण एवम वितरण अधिकारी
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
5. प्रभारी अधिकारी,CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक